



## “भारतीय राजनीति और महिला सशक्तिकरण”

### KEYWORDS

डॉ. लारवा राम चौधरी

पीएच.डी. (लोक प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़ में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत

कैरोन पैटर्न के अनुसार आज के लोकतंत्रों में स्वतंत्र और समान व्यक्ति मिलना दुष्कर हो गया है।

भारतीय संस्कृति में इश्वर को अर्धनारीश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है -

द्विधो कश्चत्वात्मनो देहधर्मेन पुरुषोभवेत्।  
अर्धं न नारी तस्या स विराजमसृजत् प्रभु॥

अतः नर व नारी जीवन रूप के दो पहिये हैं। जब दोनों पहिये आकार धारण कर समान रूप से गति करते हैं तभी व्यक्ति, समाज व सृष्टि का सर्वोत्तम प्रसफूर्त संभव है। नारी आधुनिक युग में ही नहीं वैदिक काल में भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर, उसकी सहचरी बनकर समाज को समगति देने का कार्य करती रही है।

लोकतंत्र एक बड़ी व्यापक एवं विस्तृत संकल्पना है किन्तु लोकतंत्र के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान भागीदारी का अवसर प्राप्त हो। शासन का स्वरूप चाहे जो कुछ भी हो, सत्ताधारी यह चाहता है कि जनसाधारण को राज्य के मामलों में राजनीतिक सहभागिता के लिये प्रेरित किया जाये ताकि राजनीतिक सत्ता सबल बन सके। साथ ही साथ, राजनीतिक व्यवस्था में भी स्थायीत्व एवं निरन्तरता बनायी रखी जा सके। गाँधी जी ने हरिजन में लिखा था कि सच्चे लोकतंत्र का परिपालन केन्द्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं हो सकता इसका क्रियान्वयन हर गाँव के लोगों के द्वारा ही होना चाहिए, इसे हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि गाँधी जी स्थानीय स्वशासन पर बल देते थे। महिलाओं की पंचायती राज में भागीदारी बढ़ाने का असर गाँवों में देखा जा सकता है। महिलाएँ जहाँ पंच, सरपंच सहित त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में हर स्तर पर कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आयी है वहीं ग्रामीण महिला विकास को नया आयाम मिला है। एक न्यायोचित व मानवीय सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हेतु हमें महिलाओं की सहभागिता के महत्व को समझना होगा। पंचायतें उनके भावी राजनीतिक जीवन का पालना सिद्ध होगी। तथा यहाँ के अनुभव उन्हें विधानसभाओं तथा लोकसभा में जाने के लिए तैयार कर सकेंगी। आज हमारे देश का हर समूह, हर समुदाय, हर व्यक्ति एक-एक करके राजनीति से जुड़ रहा है। राजनीतिकरण की इस प्रक्रिया में अब पुरुषों के साथ महिलाएँ भी अधिक संख्या में राजनीति से जुड़ती जा रही हैं, उनमें भी राजनीतिक चेतना जागृत हुई है। वह भी पुरुषों के मुकाबले कन्धे से कन्धा मिलाकर राजनीतिक रणक्षेत्र में आई है, उनको अपने अधिकार का ज्ञान हो चुका है। वह अपने मतों की कीमत जान गई है। विश्व का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जब भी विकास के लिए चिन्तन किया गया उसमें आधी दुनिया अर्थात् महिलाओं को भी पूर्ण महत्ता दी गई क्योंकि कोई भी विकास कार्य आधे प्रयासों से पूर्ण नहीं किया जा सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सभी में महिलाओं का सहयोग सदैव सहायनी रहा।

प्रायः ‘राजनीतिक लोकतंत्र’ सभी नागरिकों स्त्री व पुरुष दोनों को ‘प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता’ तथा ‘कानून के समान संरक्षण’ की सुनिश्चितता प्रदान करता है। यह समस्त नागरिकों को समान सहभागिता का अवसर भी प्रदान करता है। लोकतंत्र शासन प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी नीति निर्माण निकायों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता तथा उनकी आर्थिक सहभागिता से उनका सशक्तिकरण तथा विकास संभव है। यदि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले तो मानवता की उच्च सेवा के लिए गुणात्मक मानव संसाधनों के व्यापक स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। मिल के अनुसार

स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र से ही मानव का उत्कर्ष संभव है। आज 21 वीं सदी में भी महिलाओं की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। विश्व के अनेक भागों में आज भी समानता, शोषण, उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश में तो स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध हैं, अफगानिस्तान में स्त्रियों की दशा दयनीय है। पाकिस्तान की सरकार भी मानवाधिकारों का हनन कर रही है। समाज नैसर्गिक रूप से पुरुष एवं स्त्रियों की भागीदारी से ही निर्मित होता है। अतः उन कारकों की पहचान अत्यावश्यक है जिनसे महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत निर्बल हो गई है। यदि कारण चिन्हित कर दिये जायें तब निदान आसान होगा। महिला शोषण व उत्पीड़न एक विकृति है, सामाजिक व्याधि है। सामाजिक व्याधियों के लिए सामाजिक उपचार ही अधिक कारगर होते हैं, कानूनों का जंजाल नहीं।

भारतीय महिला विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने सदा ग्रामीण व्यवस्था में अपना बड़ा योगदान दिया है। महिलाओं ने अपने परिवारों के लिए अन्य कार्यों द्वारा गौण आमदनी भी संचित की और इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई, तथापि घर तथा समाज में उनके कार्यों, भूमिका तथा योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया गया और वह भी इस तथ्य को जानते हुए कि महिलाएँ पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं। इसके बावजूद सामाजिक आर्थिक समस्याएँ जैसे कि निर्धनता, बेरोजगारी, शोषण, सामाजिक प्रथाओं आदि ने भी महिलाओं को राजनीतिक जीवन में भाग लेने से रोका है। यदि लोकतंत्र के बड़े भाग को लोकतांत्रिक सहभागिता से वंचित रखा गया तो समाज के स्वस्थ विकास के लिए लोकतंत्र का भविष्य कोई सकारात्मक परिणाम नहीं लाएगा। एक महिला के सामाजिक तथा राजतिक जीवन में सक्रिय सहभागिता तथा महिलाओं के अपने एवं सामाजिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण का होना जरूरी है। मनु के काल में स्त्रियों के प्रति हीन भावना का जो बीज बो दिया गया है, वह आज भी भारत के ‘जन’ के रक्त में है। एक ओर तो कहा जाता है कि नारी शक्ति है, देवी है और दूसरी ओर अनेक ऋषियों ने कहा है कि पिता बालकपन में, पति युवावस्था में और पुत्र वृद्धावस्था में स्त्रियों की रक्षा करता है। नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। अतः आज नारी को अपने सम्बन्धन में अबला से ‘अ’ के स्थान पर ‘स’ लगाकर सबला बनाना है। पुरुष वर्ग को इस भ्रम से मुक्त होना ही पड़ेगा कि वे समाज और राष्ट्र के कर्णधार हैं। कोई समाज मात्र पुरुषों से ही निर्मित नहीं हो सकता है। निर्माण में भागीदार दोनों पक्षों की सम्मानजनक सहभागिता से ही परिवार, समाज व राष्ट्र की सफलता संभव है। वस्तुतः नारी की स्थिति धीरे-धीरे निरन्तर विकासोन्मुख है। नारी सम्बन्धी जो धारणाएँ, जो मुद्दे अब तक नेपथ्य में पड़े हुए थे और परदा खिंचा हुआ था वे एक-एक करके बाहर आ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

महात्मा गाँधी का मानना था कि स्त्रियों में स्व-बलिदान और सहिष्णुता का एक बड़ा भाग है जो उनका गुण है और उनमें दुर्बलों को झेलने की वह योग्यता भी है, जिसकी अहिंसात्मक संघर्ष के लिए आवश्यकता है।

संविधान ने स्त्री को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये और साथ ही जाति, वर्ग, धर्म, जन्मस्थान और शैक्षणिक या सम्पत्ति के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता संबंधी प्रवृत्तियों की जाँच मुख्यतः चुनावों में मतदाताओं व उम्मीदवारों के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के आधार पर की जा सकती है। महिलाओं की उन्नति एवं विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र विशेषकर राजनीति में उनकी सहभागिता का स्तर उच्च हो एवं मतदान उनको राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने चुनावी घोषणाओं में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें रखने की घोषणा तो करते हैं, परन्तु यह सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह

जाता है। कोई भी पार्टी अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है। यद्यपि आज महिलाएँ देश के शीर्ष पदों पर विद्यमान हैं, परन्तु इसमें से अधिकांशतः अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण सत्ता में आयी। राजनीतिक दलों की संरचना एजेण्डा मुख्यतः पुरुष परिप्रेक्ष्य में ही निर्धारित होता है, अतः स्वयं के बूते राजनीति में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य ही दिखाई देती है। ये महिलाएँ राजनीतिक दलों में अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाह तो कर रही हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश की भूमिका प्रतीकात्मक मात्र बनकर रह जाती है क्योंकि राजनीतिक दल स्वयं जीते जा सकने वाले संसदीय क्षेत्रों से महिला उम्मीदवारों को खड़ा करने में एक स्पष्ट हिचकिचाहट दिखाते हैं। यद्यपि स्थानीय स्वशासन के स्तर पर भी महिलाएँ 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी के स्तर पर प्रशंसनीय ढंग से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दर्ज करा रही है। साथ ही साथ लोकसभा चुनावों में भी उनकी उम्मीदवारी साल दर साल वृद्धि की तरफ अग्रसर हो रही है।

आज भारतीय नारियों ने देश दुनिया के हर क्षेत्र में अपना सम्मानित स्थान बनाया है और इनके हौसले बढ़ाने के लिए सरकार पूरी सक्षमता से इनके साथ खड़ी है। सरकार गाँव व जंगल में अपनी पहचान खोई महिलाओं से लेकर आधुनिकता से कदम ताल मिलाती महिलाओं के साथ है। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, खाद्य, पोषण, सुरक्षा, न्यूनतम, बुनियादी आवश्यकताओं और सुविधाओं समेत शिक्षा, रोजगार और न्याय जैसे उपक्रमों के माध्यम से अपना हाथ उन तक बढ़ा रही है। इसके अलावा सरकार विपदाग्रस्त, कामकाजी, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली, सुनामी व भूकम्प से प्रभावित, अवैध देह व्यापार और वेश्यावृत्ति से जुड़ी एवं बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए प्रयास करते हुए महिलाओं के लिए कल्याणोन्मुखी, विकासपरक और सशक्तिकरण के द्वार खोल रही है।

आज के राजनीति प्रधान समाज में किसी भी वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत मायने रखता है लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आर्थिक स्वतंत्रता के बिना स्त्री समानता के अन्य पहलुओं को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकेगा। यदि महिलाओं का संघर्ष सामान्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संघर्ष से अलग रह गया, तो उनके आन्दोलन को अधिक लाभ एवं शक्ति सुदृढ़ता नहीं मिलेगी और यह केवल उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रह जायेगा।

वि व के किसी भी देश और समाज की स्थिति का आंकलन वहाँ की स्त्रियों की स्थिति से किया जा सकता है। यदि किसी देश की महिलाएँ सुसंस्कृत हैं, सभ्य हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील हैं तो यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि उस देश में विकास का स्तर क्या है? महिलाओं को विकास की मूलधारा में सम्मिलित करके, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाने की मांग कई दशकों से निरंतर हो रही है। महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्तर पर आत्मनिर्भर कर सशक्त करने से है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में भी स्त्रियाँ सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नियोग्यताओं से ग्रस्त थी। अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पुरुषों पर निर्भरता, विधवा विवाह निषेध इत्यादि अनेक कारण नारी की हीन दशा के लिए उत्तरदायी थे। भारत में महिलाओं की दशा सुधारने एवं महिला सशक्तिकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आन्दोलन के साथ मानी जा सकती है। जिसके अग्रदूत राजा राममोहन राय थे। राष्ट्रीय आन्दोलन के गांधी युग में महात्मा गाँधी ने भारतीय नारी का आह्वान किया। उन्होंने नारी के भीतर की सोयी शक्ति को जगाकर शिक्षित - अशिक्षित सभी स्त्रियों को साथ - साथ चलने और पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर स्वाधीनता संग्राम में लड़ने के लिए प्रेरित किया। वि व में 1990 से 2000 का दशक महिला दशक के रूप में मनाया गया। प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा भारत में 2001 का वर्ष 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' घोषित किया गया। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 के दशक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तत्पश्चात् 1996 में 'राष्ट्रीय महिला नीति' की घोषणा की गयी। महिला को पहली बार मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड में 1893, नार्वे में 1913, फ्रांस में 1936 में, इटली में 1945 में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 1951 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन दिलाने हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रस्ताव तथा 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया।

भारतीय संसद में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त न होने के कारण लोकसभा और

राज्यसभा इन दोनों ही सदनों में इन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। यद्यपि अन्य दक्षिण एशियाई देशों की अपेक्षा भारत में बेहतर लोकतांत्रिक ढाँचा मौजूद है। इसके बाद भी हमारी संसद में आधी आबादी को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक अभी तक लंबित है। विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को उच्च करने हेतु आरक्षण प्रदान किया है। विश्वभर में अधिकांश राजनैतिक दलों में अपनी राष्ट्रीय विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दलगत आधार पर दिया गया है। 'रवांडा' विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ संसद की 50 प्रतिशत सीटों पर महिला प्रतिनिधियों ने विजय हासिल की है। 'इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन' के अनुसार 2005 में विभिन्न देशों की महिलाओं का वहाँ की संसद में प्रतिनिधित्व भारत की अपेक्षा बहुत अधिक है। यह स्वीडन में 45.3 प्रतिशत, नार्वे में 37.9 प्रतिशत, फिनलैंड में 37.9 प्रतिशत, डेनमार्क में 36.9 प्रतिशत, नेपाल में 33.2 प्रतिशत, अफगानिस्तान में 27.7 प्रतिशत, बांग्लादेश में 6.3 प्रतिशत, भूटान में 8.5 प्रतिशत, मॉरीशस में 17.0 प्रतिशत, यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद में महिला प्रतिनिधित्व 22.5 प्रतिशत है। जबकि भारत में यह प्रतिशत 9.1 प्रतिशत है। भारत में श्रीमति इन्दिरा गाँधी ने तो प्रधानमंत्री के रूप में 17 वर्षों तक देश का सफल नेतृत्व किया और सम्पूर्ण विश्व के समक्ष एक सफल राजनीति और कुशल प्रशासक का कीर्तिमान स्थापित किया। यद्यपि सत्ता की राजनीति में महिलाएँ उपेक्षित रही हैं। मंत्रीपरिषद में स्थान पाने में गिनी - चुनी महिलाओं को ही सफलता प्राप्त होती है। वर्तमान राजनीति में सोनिया गाँधी, सुष्मा स्वराज, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, ममता बनर्जी, स्व. जयललिता, वसुंधरा राजे सिंधिया, उमा भारती, मेनका गाँधी, मायावती, आनंदी बेन पटेल, सुमित्रा महाजन आदि महिलाओं की सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका रही है। किरण बेदी न केवल अनुशासन एवं सख्त रवैये से चर्चित रही बल्कि तिहाड़ जेल में कैदियों हेतु अनेक सुधार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संचालित कराया, ठीक इसी प्रकार भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अ यर ने अपनी प्रशासनिक दक्षता सिद्ध करते हुए और भारत की छवि को उजागर करने का प्रयास किया। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी, शोभा डे, अरूंधती राय एवं रोमिला थापर आदि लेखिकाओं ने अपनी लेखनी के दम पर आज की महिलाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बनकर राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखने की सार्थक पहल की है। ठीक इसी प्रकार पोप्सिको की सी.ई.ओ. इंदिरा न्यूयी आई.सी.आई.सी.आई की सी.ई.ओ. चंदा कोचर एवं एस.बी.आई. की प्रमुख अरूंधती भट्टाचार्य आदि महिलाओं ने राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख रूप से योगदान दिया है। इस प्रकार सुशिक्षित, प्रबुद्ध और जागरूक महिलाओं को स्वयं आगे आकर नेतृत्व करना होगा तथा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पुरुषों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का परित्याग करना होगा। तभी व्यापक रूप से स्त्रियों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का प्रचार - प्रसार हो जायेगा। अतः राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

वस्तुतः महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण स्वयं में एक उद्देश्य नहीं बल्कि असमानता पर आधारित व्यवस्था में प्रभावकारी परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन भी माना जा सकता है।

इस प्रकार आज भी पुरुषों के समान राजनीति में महिलाएँ अपनी सशक्त सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पायी हैं जिसका एक प्रमुख कारण राजनीतिक दलों द्वारा महिला आरक्षण पर उनकी संकीर्ण मानसिकता है। यद्यपि आज महिलाएँ देश के शीर्ष पदों पर शोभायमान हैं, परन्तु इनमें से अधिकांशतः अपनी सशक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में हैं। राजनीति में उनका प्रवेश प्रायः पत्नी, बेटी या बहन के रूप में पारिवारिक विरासत को संभालने के लिये होता है। साथ ही राजनीति का अपराधीकरण एवं अराजक तत्वों का राजनीति में बढ़ता महत्व भी ऐसे कारक हैं जो महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता से रोकते हैं। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण स्वयं में एक उद्देश्य ही नहीं बल्कि असमानता पर आधारित व्यवस्था में प्रभावशाली परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन भी माना जा सकता है। स्वयं को प्रभावित कर सकने वाली योजनाओं व नीतियों को अनुरूप निर्मित करवाने के लिए महिलाओं को सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ बनानी होगी और ऐसी शक्ति अर्जित करनी होगी कि वे स्वयं के संदर्भ में लिये जाने वाले निर्णयों को प्रभावित कर सकें। स्त्रियों और पुरुषों के बीच समता को बढ़ावा देने और स्त्रियों की परिस्थिति को सुधारने की प्रेरणा संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से प्राप्त हुई। जिसने गैर भेदभाव के एक सामान्यात्मक की स्थापना की। लिंग आधारित भेदभाव अनुज्ञय नहीं है। यह 'समान संरक्षण' का ही प्रावधान करता है। भारतीय सविधान

भी संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्रों में वर्णित अधिकारों के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के सभी स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान रूप से अधिकारों का उपबन्ध करता है। भारतीय संविधान का भाग - 3 एवं भाग - 4 क्रमशः मूलअधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था करता है जो सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित अधिकारों से पर्याप्त साम्य रखते हैं एवं इसे भारत के उच्चतम न्यायलय ने अपने कई फैसलों में समय - समय पर उद्धृत किया है। भारत हमेशा से ही महिलाओं के निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर समर्थक रहा है, अतः इसने स्वतंत्रता प्राप्ति से ही स्त्री - पुरुष असमता की खाई को पाटने का प्रयास किया ताकि महिलाएँ सही अर्थों में पुरुषों के सामने समान हैसियत का प्रयोग कर सकें, जिसे इसने अपने संवैधानिक उपबन्धों, कानून निर्माण प्रक्रिया एवं अनेक योजनाओं व नीतियों में प्रमुखता देकर सिद्ध किया है। आज उन्हें दया का पात्र समझने की बजाय प्रगति के मार्ग में समान भागीदार माने जाने लगा है। इस विषय पर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 'राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम' के छह मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य महिलाओं को राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और कानूनी दृष्टि से सशक्त बनाना रखा गया है। सरकार की इस मामले में महिलाओं को पुनर्वास से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक की पहल है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि देश और प्रदेश स्तर की भाँति जनपद में भी महिलाओं की राजनीति में स्थिति संतोषजनक नहीं है। 'अहं ब्रह्मस्मि' की सोच रखने वाले पुरुषों ने शक्ति की प्रतीक नारी को सीमाओं में बाँध दिया है। नारी को पारिवारिक दायित्व, कर्त्तव्यों व धर्म की डोर में बाँध कर उसकी सीमा को निर्धारित करने के पीछे पुरुषों के मन में छिपा हुआ भय यह था कि कहीं नारी सत्ता की अधिकारिणी न बन जाये। पुरुषों को सत्ता में महिलाओं की भागीदारी न कल पसन्द थी न आज है यह सदियों की लड़ाई है जिससे स्वयं महिलाओं को लड़ना है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. धल, संगीता: "भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व का मुद्दा": मानवाधिकार, जेण्डर एवं पर्यावरण, वीवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2008
2. श्री वास्तव, सुधा रानी व आशा: महिला शोषण एवं मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2006
3. अस्थाना, प्रतिमा: भारत में महिला आन्दोलन, विकास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1974
4. दास, वीना: वीमेन एण्ड पंचायती राज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1992
5. विद्या, के.सी.: पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एट द ग्रास रूट्स, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1997
6. कुरुक्षेत्र पत्रिका, मार्च, 2007
7. पाण्डेय, अजय शंकर: भारत में महिला सशक्तिकरण: ऐतिहासिक विवेचन, गायत्री पब्लिकेशन्स, 2010
8. पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह: सशक्त स्त्री सशक्त देश, योजना अक्टूबर, 2008
9. कुमार, राकेश: नारीवादी विमर्श, आधार प्रकाशन, पंचकुला, हरियाणा
10. राजकुमार: भारतीय नारी: सामाजिक अध्ययन, अर्जुन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,
11. अल्लेकर, ए.एस.: वीमेन हिंदू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1962
12. देसाई, नीरा: वूमन इन मार्डन इंडिया, चोरा एंड कंपनी पब्लिशर्स, मुंबई, 1957
13. शर्मा, प्रज्ञा: महिला विकास और सशक्तिकरण, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001
14. बेदी, किरण: महिला सशक्तिकरण: कुछ विचार, योजना, अक्टूबर, योजना भवन, नई दिल्ली
15. जैन, सुधा: आधुनिक नारी: दशा एवं दिशा, सूर्य भारती प्रकाशन शाहदरा, दिल्ली।
16. द्विवेदी, पूनम: महिला सशक्तिकरण और वर्तमान कानून, कुरुक्षेत्र, मार्च, 2007
17. आहूजा, राम: सामाजिक समस्याएं: रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
18. शर्मा, नीता: संविधान का विश्वकोश: अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली।